राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1167/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
राकेश कुमार भटनागर हनुमान गली रानी बाजार बीकानेर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालाना डूंगरी जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 28-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री नरपत सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 06-05-2017 के द्वारा दिनांक 06-12-2001 को अनुदानीत स्कूल बाल भारती जिला गंगानगर का निरीक्षण किया गया। इस बाबत जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर को सीसीए 17 में कार्यवाही करने के लिए लिखे गये पत्र व नोटशीट की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना के बाबत पत्र दिनांक 26-05-2017 से अवगत कराया गया कि आवेदन में वांछित सूचना से संबंधित प्रकरण संख्या 138/2007 वर्तमान में अन्वेक्षणाधीन है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। प्रथम अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 11-07-2017 से आवेदक को एक पृष्ठ की सूचना निःशुल्क उपलब्ध करादी गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 23-02-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 26-05-2017 एवं प्रथम अपील निर्णय दिनांक 11-07-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने

के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त